निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 5797/2019 पूजा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.04.2019 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थिया द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के तहत संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर द्वारा आयोजित काउंसलिंग 2018 के द्वारा याचिकार्थिया को राबामावि प्रागपुरा, पावटा जिला जयपुर पदस्थापन हेतु आवंटित किया गया था। याचिकार्थिया ने घर की दूरी, वृद्ध सास–ससुर के बीमार रहने तथा पति की गुजरात में पोस्टिंग होने के कारण उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होने जैसी पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अभ्यावेदन प्रस्तुत कर राबामावि प्रागपुरा, पावटा जिला जयपुर से ब्लॉक गोविन्दगढ़ जिला जयपुर में रिक्त पद पर पदस्थापन करने की मांग की है।

याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.04.2019 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम–1971 के अनुसार द्वितीय श्रेणी अध्यापक का पद मण्डल स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित मण्डल का संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद मण्डल में उपलब्ध रिक्तियों वर्गवार/मण्डल वार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों का मण्डलवार व वर्गवार ही पदस्थापन किया जाता है।

वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 में पदस्थापन बाबत् संभाग को उपलब्ध अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हेतु जिलेवार उपलब्ध रिक्तियों के अनुपात में विद्यालयों को राज्य सरकार के पत्रांक प.17 (7) शि–2/2016 जयपुर दिनांक 04.03.2018 के निर्देशानुसार प्रदर्शित करते हुए संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर द्वारा दिनांक 29.09.2018 को काउंसलिंग आयोजित की गई, जिसमें याचिकार्थिया के द्वारा राबामावि प्रागपुरा, पावटा, जयपुर का पदस्थापन हेतु चयन किया गया, जिसके क्रम में संबंधित संयुक्त निदेशक के आदेश क्रमांक उनि/माशि/जय/संस्था/फा–द्वि.श्रे.अ.2016/अंग्रेजी/2018 दिनांक 30.09.2018 द्वारा याचिकार्थिया के पदस्थापन आदेश प्रसारित किये गये।

इसके साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2015 में यह स्पष्ट निर्देश दिये है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post."

कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में इच्छित स्थान पर पदस्थापन का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा पदस्थापन हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन किए जाते हैं। याचिकार्थिया द्वारा अभ्यावेदन में ब्लॉक गोविन्दगढ जिला जयपुर में वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) के पद रिक्त होने के आधार पर पदस्थापन हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं न्यायसंगत नहीं है।

अतः याचिकार्थिया द्वारा राबामावि प्रागपुरा, पावटा जिला जयपुर से ब्लॉक गोविन्दगढ़ जिला जयपुर में पदस्थापन करने हेतु की जा रही मांग उपरोक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जय/12933/2019 दिनांकः– 16·10·19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर
2. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जयपुर
4. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा को पत्रांक शिविरा/माध्य/विधि/बी–2/जय/निर्णय/29808/आई/19 दिनांक 01.10.2019 के क्रम में।
5. याचिकार्थिया पूजा पुत्री श्री सुभाष चन्द्रा, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय प्रागपुरा, पावटा जिला जयपुर (रजिस्टर्ड)
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

कार्यालय पता– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर दूरभाष 0151–2522238 Email- dir.dse@rajasthan.gov.in